संख्या-1075/81-2-2023-800(144)/2019

प्रेषक,

नीता चौधरी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 06 ~~मई~~ जून 2023

विषय- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ में अलीगढ-मथुरा रोड (एन0एच0-80) किमी0 05 दांयी पटरी खसरा संख्या-30 ग्राम दौलताबाद तहसील कोल जनपद अलीगढ में इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0 के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/26736/2017)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-3183/11-सी-एफपी/यूपी/अदर्स/26736/2017 दिनांक 03.04.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मुख्य वन संरक्षक, अलीगढ वृत्त अलीगढ का पत्र दिनांक 28.03.2023 उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आख्या का उल्लेख किया गया है।

2- अवगत कराना है कि आपके पत्र दिनांक 16.12.2022 के संलग्नक के अनुसार प्रकरण में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अलीगढ को दोषी बताया गया है, जिसके सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 09.03.2023 द्वारा आख्या मांगी गई। उक्त आख्या के अनुक्रम में आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 03.04.2023 के साथ संलग्न मुख्य वन संरक्षक अलीगढ वृत्त अलीगढ के पत्र दिनांक 28.03.2023 में विरोधाभाष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 16.12.2022 में संलग्न अभिलेखों के अनुसार तत्कालीन अपर जिलाधिकारी प्रशासन अलीगढ को भी दोषी बताया गया है। तत्क्रम में शासन के पत्र दिनांक 09.03.2023 द्वारा आख्या मांगी गई, जिसके क्रम में पत्र दिनांक 03.04.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या विरोधाभासी है।

कृपया उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट करते हुए सुस्पष्ट आख्या अपनी संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,
Signed by नीता चौधरी
Date: 02-06-2023 18:22:46
Reason: Approved
(नीता चौधरी)
उप सचिव।

कार्यालय वन संरक्षक
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़
इन्डेक्स सं0 6658/14-1
दिनांक 10/06/2023

Store
18
[illegible]
07/6/23

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 3876/11सी– FP/UP/Others/26736/2017 दिनांक, लखनऊ, जून 08, 2023

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, मुरादाबाद मण्डल कार्यालय कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली, रोड एन0एच0 24, पोस्ट पकवाड़ा, जिला–मुरादाबाद। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय
वन संरक्षक अलीगढ़ वृत्त अलीगढ़
पत्रांक 4716 /14-1 दिनांक 15/06/2023

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 प्रभाग, अलीगढ़ को उपरोक्त के क्रम में सूचना एवं आख्या, तत्काल उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़

DIM
816